कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

कमांक:जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी-203 दिनांक: 12-7-2002

विषय:- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की बैठक 24..वीं दिनांक..26/6/2002..का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

भवन मानिचत्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक सं0.24वीं दिनांक..26/6/2002..प्रात:/~~सायं~~.11.30.बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई,का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति,
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगरीय विकास मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक
3. श्री अशोक तंवर, विधायक
4. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य
5. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सचिव,आयुक्त,जविप्रा,जयपुर।
7. निजी सचिव, सचिव,जविप्रा,जयपुर।
8. निदेशक(आयोजना) जविप्रा,जयपुर।
9. अति.आयुक्त(भूमि) जविप्रा,जयपुर।
10. वंरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.) जविप्रा,जयपुर।
11. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा,जयपुर।
12. उपायुक्त, जोन...................,जविप्रा,जयपुर।
13. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

बीपीसी (ले-आउट प्लान) की •24वीं• बैठक दिनांक 26-6-2002 का कार्यवाही विवरण । B-3

1•	खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	: अम्बेडकर गृ•नि•स•स•
2•	योजना का नाम	: स्कीम नम्बर-2 (बन्धु नगर)
3•	ग्राम का नाम व खसरा नं0	:
4•	विषय	: योजना से गुजर रही 100' चौड़ी सैक्टर रोड बन्धु नगर व अम्बेडकर गृ• नि•स•स. के मध्य के रोड के संबंध

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया -

उक्त योजना का तकनीकी अनुमोदन सर्वप्रथम भवन मानचित्र समिति में 28-12-1983 को किया गया था । उक्त योजना एवं अम्बेडकर गृ•नि•स•स• की स्कीम नम्बर 2 से गुजर रही 100' की सैक्टर रोड के संबंध में भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(कार्य•)की संख्या 28/2001 दिनांक 6 एवं 8-10-2001 में निम्नांकित निर्णय लिया गया था ।

"प्रश्नगत सैक्टर रोड(80' चौड़ी) के समानान्तर 100' चौडी सैक्टर रोड जहां सीकर रोड से मिलती है, वहां पर कुछ दूरी के लिए बंद है । अत: इसे तुरन्त खुलवाया जाये और इस 100' रोड़ का निर्माण कार्य भी तुरन्त चालू कराया जाये ।"

तत्पश्चात् प्रकरण को भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की 17वीं बैठक दिनांक 3-5-2002 में विचार के लिए रखा गया था एवं बाद विचार-विमर्श उक्त सैक्टर रोड के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिये गये -

1• सीकर रोड से सिन्धु नगर गृ•नि•स•स• की योजना 16 एवं 16जी के प्रारम्भिक बिन्दु तक इस सैक्टर रोड की चौड़ाई 60' रखी जाये ।

2• योजना 16 एवं 16 जी के प्रारंभिक बिन्दु के पश्चात् सड़क की चौड़ाई जो मौके पर 100' उपलब्ध है दादी का फाटक तक 100' रखी जाये ।

3• इस सड़क के बीच में जो निर्माण आ रहा है उनमें भूमि के बदले भूमि तथा स्ट्रेक्चर का कम्पन्सेसन भूखंडधारियों को दिया जाये ।

4• सड़क की चौड़ाई 60' रखने के कारण जिन निर्मित भवनों में सैटबैक 0' रह जाता है उन निर्मित भवनों में 0' सैटबैक ही रखा जाये ।

5• सड़क की चौड़ाई 60' रखने के कारण जो स्ट्रक्चर सड़क के बीच में आ रहे हैं उनके बारे में समझौता करने की कार्यवाही चलती रहे तथा उसके

..... 2 ...

पूर्ण होने का इंतजार नहीं किया जाये तथा सड़क का कार्य करवाने की कार्यवाही कर ली जाये ।

पूर्व बैठकों में लिये गये निर्णयों एवं उपायुक्त जोन द्वाराबताई हुई मौके की स्थिति के आधार पर मानवीय दृष्टिकोण एवं प्रश्नगत सड़क की महती उपयोगिता के मद्देनजर निम्नांकित निर्णय लिये गये -

1. जिन खातेदारों की भूमि रोड़ में 60% तक आ जाती है उन्हें कोई मुआवजा देय नहीं होगा और इन भूखंड़ों पर फ्रन्ट सेटबैक 0' देय होगा ।
2. जो भूखंड़ सड़क में पूर्ण-रूपेण आते हैं उन्हें अपने भूखण्ड़ के क्षेत्रफल के बराबर सुविधा क्षेत्र में भूखण्ड़ सृजन कर दिये जायें एवं मौके पर जो निर्माण है उसकी कीमत के सम्बन्ध में जोनल अभियन्ता एवं सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जाये ।
3. जिन भूखंड़धारियों के आंशिक भूखंड़ रोड में आ रहे हैं एवं रोड में आ रहे क्षेत्र के पश्चात भूखंड़ अधिवास हेतु उपयुक्त नहीं रहता है तथा भूखंड़धारी शेष रहे भूखंड़ को जविप्रा को स्वेच्छा से समर्पित कर देता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे भूखंड़धारियों को भी सुविधा क्षेत्र में भूखंड़ सृजित कर दिये जायें एवं उनके द्वारा किये गये संपूर्ण भूखंड़ों पर निर्माण की कीमत जोन अभियंता एवं सहायक नगर नियोजक द्वारा दी गयी रिपोर्ट के आधार पर भुगतान किया जाये ।
4. भूखण्ड़ संख्या 35,41,42,46,47,51 रजिस्ट्री विक्रय पत्र द्वारा खातेदार से खरीदे गये हैं । यह भूखण्ड़ कुछ तो आंशिक रूप से व कुछ पूर्ण रूप से सड़क में आते हैं । इन भूखंड़ों के धारकों को 60% तक क्षेत्र की क्षतिपूर्ति के रूप में सुविधा क्षेत्र में आवंटित कर दिया जाए । जो भूखंड़ आंशिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं । अगर भूखण्ड़धारी अपनी सुविधा से संपूर्ण भूखण्ड़ जविप्रा को समर्पित कर देता है तो उसे भी 60% तक का क्षेत्र आवंटित कर दिया जाए ।
5. जिन भूखंण्ड़धारियों को उपरोक्त निर्णयों की अनुपालना में भूखंड़ दिये जाने हैं उस संबंध में जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार मोती भवन गृ॰नि॰स॰समिति की योजना 4-बी जमुनापुरी में स्थित सुविधा क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल 3863 व॰ग॰) में 8 भूखण्ड़ों के सृजन की स्वीकृति दी गयी । इससे मोती भवन गृ॰नि॰स॰स॰ की योजना 4-बी जमुनापुरी का आवासीय क्षेत्रफल 63.65% हो जाएगा जिसे स्वीकृति दी गयी क्योंकि इस सुविधा क्षेत्र के बदले रोड के रूप में दूसरा सुविधा क्षेत्र मिल रहा है ।
6. इस प्रक्रिया में जो भूखंड़ आवंटन होते हैं उन्हें आवंटन की पुष्टि एल॰पी॰सी॰ की आगामी बैठक में करवायी जाये ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की....24वीं..बैठक दिनांक..26-6-2002 का कार्यवाही विवरण।

1.	खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	: छत्रपति शिवाजी गृ॰नि॰स॰स॰
2.	योजना का नाम	: प्रताप नगर विस्तार
3.	ग्राम का नाम व खसरा नं0	:
4.	सैक्टर नंबर	: 19 B-3

जोनल लेबल(जोन संख्या..8/2002) कमेटी की बैठक दिनांक..2-2-2002.........में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ निम्न शर्तो पर किया गया:-

1• नई अनाज मण्डी की अवाप्ति से प्रभावित क्षेत्र को योजना से बाहर किया जाए।

2• जोन द्वारा योजना के भूखंडों को छोटा कर लगभग 10% सुविधा क्षेत्र का सृजन किया गया है जिसे अनुमोदित किया गया।

3• मास्टर प्लान 2011 में योजना क्षेत्र का भू-उपयोग बाईपास के पूर्व मे आवासीय एवं बाईपास के पश्चिम में भू-उपयोग थोक व्यापार व "वेयर हाउसिंग बोर्ड हाउस" है जिसके भू-उपयोग परिवर्तन की नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

4• भूखण्ड संख्या 430 रोड क्षेत्र में आने के कारण अस्वीकृत किया गया। इसे उसी योजना के किसी समकक्ष सुविधा क्षेत्र में समायोजित किया जाये।

5• भूखंड संख्या 597बी से 597एन कुल 13 भूखंड समिति ने नये सृजित किये हैं अत: इस क्षेत्र को आरक्षित रखा जाये।

6• 200' बाईपास के सहारे-सहारे हाईटेंशन लाइन के मध्य से भूखंड की तरफ 50' भूमि काटते हुए शेष भूखंडों को अनुमोदित किया गया। भूखंड संख्या 80, 90 और 81 अन्य योजना महादेव नगर से प्रभावित है अत: इन्हें अनुमोदित नहीं किया जाये।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...24वीं...बैठक दिनांक...26-6-02...
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर B-2 :

विषय:- न्यू पिंकसिटी गृह नि०स०स० की योजना बरकत नगर के भूखण्ड संख्या 500 के उप विभाजन के सम्बन्ध में ।

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्ड़ा प्रस्तुत किया गया । भू०सं० 500 का 3 भागों में उप विभाजन कर उप विभाजन स्वीकृति हेतु आवेदन किया है । इन तीन उप विभाजन के भूखण्ड़ों में से दो भूखण्ड़ों में सैट बैक छोडने के पश्चात् पर्याप्त आच्छादित क्षेत्र उपलब्ध होता है । किन्तु एक भूखण्ड़ में आच्छादित क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है । इसलिए विचार-विमर्श कर इस भूखण्ड़ का स्थल निरीक्षण करने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 24वीं बैठक दिनांक 26-6-02 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर B-2 :

विषय:- जल महल ग०नि०स०स० की योजना स्कीम नं० 2 मूर्तिकला के भू०सं० 31,32 तथा भारत भवन सहकारी समिति की योजना वसुन्धरा कॉलोनी के भू०सं० 130 के सामने की सड़क दोनों के अनुमोदित नक्शों में 30'-0" व 25'-0" चौड़ाई की अलग-अलग अनुमोदित है अतः इस पर निर्णय लेने हेतु।

समिति के समक्ष उपायुक्त जोन बी-2 द्वारा एजेण्डा विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। मूर्तिकला के स्वीकृत योजना मानचित्र में भू०सं० 21 व 22,40 के उत्तर की ओर सड़क की चौड़ाई 30' दर्शायी है तथा वसुन्धरा कॉलोनी के स्वीकृत योजना मानचित्र में भू०सं० 265,266 के दक्षिण की ओर की सड़क की चौड़ाई 25-0" दर्शायी है मौके पर इस सड़क की चौड़ाई 20-0" है विचार-विमर्श पश्चात् समिति ने मूर्तिकला के भू०सं० 21,22 व 40 के उत्तर की ओर की सड़क की चौड़ाई 25-0" करने का निर्णय लिया गया।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 24वीं बैठक दिनांक 26-6-02 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर : B-2

विषयः- श्री जगदीश लाल कलवार भू०सं० 2-ए, लवकुश नगर द्वितीय का अनुमोदित मानचित्र में अंकित नम्बर को मौके अनुसार परिवर्तन करते हुए उप विभाजन स्वीकृत किये जाने के संबंध में ।

उपरोक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । स्वीकृत योजना मानचित्र में भू०सं० 1 व 2 स्वीकृत किये हुए है । किन्तु मौके पर इनकी स्थिति विपरित है अर्थात् स्वीकृत योजना मानचित्र में भू०सं० 1 है किन्तु मौके पर यह भू०सं० 2 है इसी प्रकार स्वीकृत मानचित्र में भू०सं० 2 है किन्तु मौके पर भू०सं० 1 है विचार-विमर्श पश्चात् समिति ने भू०सं० 1 व 2 को भू०सं० 2 को 1 करने का निर्णय लिया गया । भूखण्डों का अंकन मौके की स्थिति के अनुसार करने का निर्णय लिया गया तथा भू०सं० 1 व 2 का उप विभाजन भी स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 24वीं बैठक दिनांक 26-6-02

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- भू.सं. 38,39,45 प्रिन्टर्स कॉलोनी द्वितीय टोंक रोड़ को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किए जाने के संबंध में ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

B-4

समिति के समक्ष एजेण्डा विचारार्थ प्रस्तुत किया गया । चूंकि योजना में कुल भूखण्ड 73 है, जिनमें से 41 भूखण्ड निर्मित है । अर्थात् 50% से अधिक निर्मित भूखण्ड है । भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 3.5.2002 में भू.सं. 29 व 30 को फैसिलिटी एरिया से मुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया था । तथा इस योजना में शेष फैसिलिटी एरिया में दर्शाये भूखण्डधारियों ने भी उनके भूखण्डों को फैसिलिटी एरिया से मुक्त किए जाने के संबंध में आवेदन किया है इसलिए समिति ने विचार-विमर्श कर निर्णय लिया कि इस योजना में दर्शाये सभी फैसिलिटी एरिया के भू.सं. 28,29,30, 38,39,23,24,24ए,45 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किया जावें ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...24वीं....बैठक दिनांक...26-6-02..

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- तहसील सांगानेर ग्राम सवाई गैटोर के आराजी ख॰नं॰ 787 व 952/2 कुल रकबा 1.57 हैक्टेयर भूमि के हिस्सा 2/3 का वाणिज्यीक नियमितकरण के संबंध में ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी

समिति का नाम :

2. योजना का नाम :

3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :

4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...B-4...) कमेटी की बैठक दिनांक..........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

समिति के समक्ष एजेण्डा विचारार्थ प्रस्तुत किया गया । एयरपोर्ट के डवलपमेन्ट प्लान में यह खसरा वाणिज्यक प्रयोजनार्थ दर्शाये है तथा खसरा नम्बर 952 में 160-0" चौड़ी सड़क प्रस्तावित है । समिति ने विचार-विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ वाणिज्यक प्रयोजनार्थ नियमन करने का निर्णय लिया गया:-

1- एयर पोर्ट डवलपमेन्ट प्लान के अनुसार 160-0" चौड़ी सड़क में आने वाली भूमि प्रार्थी द्वारा निःशुल्क प्राधिकरण के हक में समर्पित करने के पश्चात् शेष क्षेत्रफल का वाणिज्यीक प्रयोजनार्थ नियमन किया जावें ।

2- पैरामोटर्स जयपुर विकास प्राधिकरण (विनिमय 2000) के अनुसार होगा ।

3- प्रार्थी जयपुर विकास प्राधिकरण में भवन मानचित्र स्वीकृत कराने के पश्चात् ही निर्माण कार्य शुरू करेगा ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...24वीं...बैठक दिनांक.26-6-02....
का कार्यवाही विवरण।

विषय:- तहसील सांगानेर ग्राम सवाई गैटोर के आराजी ख०नं० 787 व 952/2 कुल रकबा 1.57 हैक्टेयर के 1/3 भाग का वाणिज्यक नियमितकरण के सम्बन्ध में।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...B-4...) कमेटी की बैठक दिनांक.........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

समिति के समक्ष एजेण्डा विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। एयरपोर्ट के डवलपमेन्ट प्लान में यह खसरा वाणिज्यक प्रयोजनार्थ दर्शाये है तथा खसरा नम्बर 952 में 160-0" चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। समिति ने विचार-विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ वाणिज्यक प्रयोजनार्थ नियमन करने का निर्णय लिया गया :-

1- एयर पोर्ट डवलपमेन्ट ~~न्ट~~ ZR12 प्लान के अनुसार 160-0" चौड़ी सड़क में आने वाली भूमि प्रार्थी निःशुल्क प्राधिकरण के हक में समर्पित करने के पश्चात् शेष क्षेत्रफल का वाणिज्यक प्रयोजनार्थ नियमन किया जावे।
2- पैरामीटर्स जयपुर विकास प्राधिकरण (विनिमय 2000) के अनुसार होगा।
3- प्रार्थी जयपुर विकास प्राधिकरण में भवन मानचित्र स्वीकृत कराने के पश्चात् ही निर्माण कार्य शुरू करेगा।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..24वीं.....बैठक दिनांक 26-6-02 का कार्यवाही विवरण।

विषय:- भू.सं. 140 व 141 योजना श्रीपुरम (अम्बेश्वर गृ.नि.स.स.) को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या..B-5........) कमेटी की बैठक दिनांक..........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

स्वीकृत योजना मानचित्र में ब्लाक भू.सं. 130 से 145 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया गया था। भू.सं. 140 व 141 के भूखण्डधारियों ने उनके भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में आवेदन किया था। उपायुक्त जोन ने इन भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में भवन मानचित्र समिति की बैठक में रखा था। जिसमें निर्णय लिया गया कि ब्लाक भू.सं. 130 से 145 के भूखण्डों की चौड़ाई कम कर सुविधा क्षेत्र सृजित किया जावें। निर्णयानुसार इस ब्लाक का संशोधित ब्लाक प्लान तैयार किया गया जो एजेण्डा के साथ संलग्न था। विचार-विमर्श पश्चात् समिति ने एजेण्डा के साथ संलग्न ब्लाक प्लान के अनुसार भू.सं. 130 व 145 के दक्षिण की ओर $\frac{38' + 46-6''}{2} \times 100$ का सुविधा क्षेत्र व संशोधित क्षेत्रफल के अनुसार भू.सं. 130 सं 145 को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

[signature]

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 24वीं बैठक दिनांक 26-6-02 का कार्यवाही विवरण।

विषय:- गुलाब बाड़ी गृ॰नि॰स॰स॰ की योजना मोदी नगर में भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 19.6.2002 में लिए गये निर्णय के क्रम में भूखण्डधारियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों के सम्बन्ध में पुर्नविचार के संबंध में।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर

B-5

योजना का अनुमोदन बी॰पी॰सी (ले-आउट प्लान) की 21 वीं बैठक दिनांक 7-6-2002 द्वारा किया गया था। मोदी नगर विकास समिति के पदाधिकारियों एवं अनेक भूखण्डधारियों ने आयुक्त महोदय को ज्ञापन देकर यह निवेदन किया कि पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुसार भूखण्ड संख्या 60,61,62,67,68,69 को सुविधा क्षेत्र में दिखाया गया है, उन्हें सुविधा क्षेत्र से मुक्त किया जाए तथा भूखण्ड संख्या 1 से 33 के पूर्व की ओर की सड़क को 40 फीट की बजाय 30 फुट ही रखा जावें। आयुक्त महोदय, ने ज्ञापन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए योजना मानचित्र समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है।

प्रकरण आज समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत हुआ। विकास समिति की ओर से सर्व श्री अजीत सिंह, महेश गुप्ता, रामसिंह गुर्जर, दीनदयाल खण्डेलवाल व सुरेश गुप्ता उपस्थित थे। विकास समिति के पदाधिकारिगण का कथन था कि भूखण्ड संख्या 191 व 192 पहले से ही मूल आवंटी द्वारा सामुदायिक केन्द्र के लिए दिये जा चुके है। इसलिए इन भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र में रखे जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। भूखण्ड संख्या 181 भी विकास समिति द्वारा खरीदा जा चुका बताया गया अतः इसे भी सुविधा क्षेत्र में डालने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होना बताया गया। समिति के सदस्यों ने निर्णय लिया कि सुविधा क्षेत्र एक ही जगह पर हो, और वह पर्याप्त भी हो, इसके दृष्टिगत भूखण्ड संख्या 181 के स्थान पर भूखण्ड संख्या 170 को तथा इसके लगते हुए भूखण्ड संख्या 189 को भी सुविधा क्षेत्र

.....2/-

में शामिल कर लिया जायें और भूखण्ड संख्या 180 से 188 के बीच उपलब्ध खाली भूमि को 11 भूखण्डधारियों के बीच, उनके भूखण्डों को बराबर कम करते हुए पुनर्विभाजित कर दिया जाए । इसके लिये जोन के उपायुक्त व पदाधिकारियों को पृथक से बैठ कर इन भूखण्डों का प्लान बना कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया, जो बाद में प्रस्तुत किया गया । विकास समिति के पदाधिकारियों की सहमति से समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिये :-

§1§ भूखण्ड संख्या 189 से 192 जिनका फ्रन्ट कुल 160 फिट है, को सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित किया गया तथा भूखण्ड संख्या 180 से 188 के मध्य मौके पर उपलब्ध 401 फुट जमीन को भूखण्ड संख्या 180, 181-ए तथा भूखण्ड संख्या 182 से 190 कुल 11 भूखण्डों में बराबर कम करते हुए पुनर्विभाजित किया गया । इन भूखण्डों का संशोधित फ्रन्ट निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

भूखण्ड संख्या	फ्रन्ट §फीट§	भूखण्ड संख्या	फ्रन्ट §फीट§
180	33	186	33
181-ए	38	187	33
182	42	188	32
183	42	189	32
184	42	190	32
185	42		

§2§ पूर्व में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित किये गये भूखण्डों संख्या 60, 61, 62, 66, 67, 68, व 69 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किया गया । भूखण्ड संख्या 84 व 86 के मध्य स्थित मंदिर को यथावत सुविधा क्षेत्र में रखा गया । भूखण्ड संख्या 60, 61 व 69 के पास स्थित दुकानों को बिल्टअप §Built up§ नहीं मिलने के कारण अनुमोदित नहीं किया गया ।

....3/-

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 26.6.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन डी-2 के निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गयेः-

1. बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स. की योजना फ्रेन्डस् कालोनी ग्राम निवारू के अनुमोदन के संबंध में।
2. बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स. की योजना रिघु नगर ग्राम निवारूं के अनुमोदन के संबंध में।

विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये :-

1. बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स. की योजना फ्रेन्डस् कालोनी, निवारू के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या डी-2) कमेटी की बैठक दिनांक 4.6.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतू पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नाकिंत संशोधनो के साथ अनुमोदित किया गया :-

    1. योजना में 60 प्रतिशत आवासीय व 40 प्रतिशत सडक सुविधा क्षेत्र रखा जावें।
    2. दुकान संख्या 1 से 20 सडक के राईट आफ वे में खुलने के कारण अस्वीकृत किया जावें तथा इन्है सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावें।
    3. भूखण्ड संख्या 125, 140, 141 व 154 खसरा सीमा से बाहर होने के कारण तथा भूखण्ड संख्या 226 से 242 तक मास्टर प्लान में प्रस्तावित 200' सडक व प्लान्टेशन कारीडोर से प्रभावित होने के कारण अस्वीकृत किया जावें।
    4. भूखण्ड संख्या 192, [illegible], 195 को न्यूनतम निर्मित योग्य क्षेत्रफल नहीं मिलने के कारण नियमन योग्य नहीं है।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी (ले-आउट प्लान) की...24वीं...बैठक दिनांक..26-6-02....
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर B-2 :

विषय :- कृष्णापुरी गृह नि॰स॰स॰ की योजना महादेव नगर के भूखण्ड सं॰ 52 के उप विभाजन हेतु ।

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । प्रार्थी ने भू॰सं॰ 53 का उपविभाजन किया है जिसमें भू॰सं॰ 53ए की चौड़ाई 12-0" तथा इस ओर स्वीकृत योजना मानचित्र में 10-0" का सैट बैक निर्धारित है विचार-विमर्श पश्चात् इस भूखण्ड का स्थल निरीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया ।

(3) भूखण्ड संख्या 1 से 33 के पूर्व की ओर की सड़क को पूर्व निर्णयानुसार 40 फुट की रखे जाने का निर्णय लिया गया ।

(4) शेष निर्णय पूर्व की बैठक दिनांक 7-6-2002 के अनुसार ही रखे जाने का निर्णय लिया गया है ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 24वीं बैठक दिनांक 26-6-02

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- भू.सं. 91,92,93, गणेश कॉलोनी छत्रपति शिवाजी गृ.नि.स.स. के भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किए जाने के संबंध में।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर : B-2

उपरोक्त भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किए जाने के संबंध में एजेण्डा भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 12-6-2002 में समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। जिसमें आवेदक से निवास करने के सबूत प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी जाँच कर सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में कार्यवाही विवरण में उल्लेख किया गया था। समिति के सदस्यों ने भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 26-06-2002 में इस कार्यवाही विवरण के संबंध में कहा कि कार्यवाही विवरण में समिति के निर्णयानुसार उल्लेख नहीं किया गया है। समिति के सदस्य श्री राजेन्द्र मावर ने समिति को अवगत कराया कि उनकी जानकारी में है कि यह भूखण्डधारी वहाँ पर निवास करते है तथा कोई दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। इसलिए विचार-विमर्श पश्चात् समिति ने भू.सं. 91,92,93 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 24वीं बैठक दिनांक 26-6-02 का कार्यवाही विवरण।

विषय:- श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा भू.सं. 70 गौरव नगर स्वास्तिक गृ.नि. स.स. के भूखंड को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

A-1

समिति के समक्ष एजेण्डा विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श पश्चात् समिति ने भू.सं. 70 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त न करने का निर्णय लिया गया।

[signature]

5. योजना में निर्मित क्षेत्रफल 10 प्रतिशत से कम होने के कारण अ.शा. टीप कमांक विस/म/स्वा.शा./2002/320 दिनांक 9 मई 2002 के संदर्भ में मामला अनुमोदन हेतू अध्यक्ष, **जविप्रा को भेजा जावें।**

2. बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स. की योजना रिघु नगर के अनुमोदन के संबंध में – जोनल लेबल (जोन संख्या डी–2) कमेटी की बैठक दिनांक 21.6.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतू पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नाकिंत संशोधनो के साथ अनुमोदित किया गया :–

1. योजना में 60:40 अनुपात रखा जावें।
2. दुकान संख्या 1 से 19 सडक के राईट आफ वे में खुलने के कारण अस्वीकृत किया जावें तथा इन्हैं सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावें।
3. भूखण्ड संख्या 4, 14, 16, 17, 18, 19, 75, 75–ए, 73–ए, 72, 73, 67–ए, 68 को लो–टेंशन लाईन शिफ्ट होने के पश्चात ही नियमन किया जावें।
4. योजना में भूखण्ड संख्या 19 एवं 20 के उत्तर में प्रस्तावित सुविधा क्षेत्र के पश्चिम में प्रस्तावित 30' चौडी सडक के स्थान पर जो योजना खसरा सीमा में आता है को सुविधा क्षेत्र में जोड दिया जावें।
5. भूखण्ड संख्या 38 व 50 को Entry Approach सुनिश्चित करने के पश्चात ही नियमन किया जावें।

वरिष्ठ नगर नियोजक, (एम.पी.)
जविप्रा, जयपुर।

भवन मानिचत्र समिति(ले-आउट प्लान) की 24वीं बैठक दिनांक 26-6-2002 को प्रातः 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई,जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

1. श्री अशोक तंवर, विधायक — सदस्य
2. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य — सदस्य
3. श्री रोहित कुमार, सचिव, जविप्रा, जयपुर। — सदस्य
4. श्री हेमन्त मुरडिया, निदेशक(आयोजना)जविप्रा, जयपुर। — सदस्य
5. श्री ओ.पी. यादव, अति.आयुक्त(भूमि)पश्चिम,जविप्रा,जयपुर। — सदस्य
6. श्रीमती शुचि शर्मा, अति.आयुक्त(भूमि)पूर्व, जविप्रा, जयपुर। — सदस्य
7. श्री ए.एन.भार्गव,वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) — सदस्य सचिव

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्री पी.अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती लवंग शर्मा,वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा,जयपुर।
3. श्री मुकेश मित्तल, उप नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा,जयपुर।
4. श्री गिरिराज अग्रवाल,उपायुक्त जोन ए-1, जविप्रा,जयपुर।
5. श्री विजयपाल सिंह, उपायुक्त जोन बी-3, जविप्रा,जयपुर।
6. श्री रमेश चन्द शर्मा, उपायुक्त जोन बी-4, जविप्रा,जयपुर।
7. श्री खान मोहम्मद, उपायुक्त जोन डी-2, जविप्रा,जयपुर।
8. श्री संजीव, सहायक नगर नियोजक,जोन ए-1, जविप्रा,जयपुर।
9. श्री हरिप्रसाद, सहायक नगर नियोजक,जोन बी-3,जविप्रा,जयपुर।
10. श्री सिद्वार्थ सैन, सहायक नगर नियोजक, जोन सी-1,जविप्रा,जयपुर।
11. श्री गोपाल सैनी, सहायक नगर नियोजक, जोन डी-2, जविप्रा,जयपुर।